इस्लामी कानून— एक नज़र

रमजान और रशीदा दोनों मुसलमान हैं। वे शादी करना चाहते हैं। उनका 'निकाह' कैसे होगा?

इस्लामी कानून के तहत् केवल मुसलमान शादी कर सकते हैं। शादी का पैगाम लड़के की तरफ से दिया जाता है। इस पैगाम को लड़की कुबूल करती है या इंकार करती है। पैगाम देने और कुबूल करने को निकाह कहते हैं। निकाह मौलवी और गवाहों की मौजूदगी में किया जाता है। मौलवी अपनी शादी की किताब में निकाह दर्ज करते हैं। लड़के और लड़की दोनों को निकाहनामा की एक प्रति दी जाती है। निकाह पूरा होने के लिए मेहर की रकम तय होनी जरूरी है। यह वह रकम होती है जो लड़का लड़की को शादी के बदले में देता है। यह रकम शादी के वक्त या फिर बाद में जब भी लड़की चाहे लड़के को अदा करनी होगी। वैसे तो कानूनी रूप से निकाह को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन शादी का पक्का सबूत होता है।

× × ×

जानू की उम्र सोलह साल है। उसके मामा सलीम ने उससे शादी कर ली। पर कानून की नजर में यह निकाह गैर-कानूनी है, क्यों?

— इस्लामी कानून के तहत दूल्हा और दुल्हन दोनों की उम्र पंद्रह साल की होनी चाहिए। लेकिन देश के आम कानून की नजर में यह कानूनी जुर्म है।

— शौहर और बीवी की एक दूसरे से सगी रिश्तेदारी यानि खून की, गोद लेने की या शादी की, नहीं होनी चाहिए।

— लड़की और लड़के दोनों की दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए।

— शौहर और बीवी में किसी भी तरह का खून का सगा रिश्ता होने पर शादी नाजायज मानी जाएगी।

बाबर और सीमा ने इस्लामी कानून के तहत निकाह किया। बाबर सरकारी गोदाम में चौकीदार था। उसने अपने साथ काम करने वाली परवीन से दूसरी शादी कर ली। एक दिन बाबर हादसे में मारा गया। सरकार ने बाबर की दोनों बेवाओं के निकाह को जायज़ नहीं माना। ऐसा क्यों?

— इस्लामी कानून के अनुसार एक मुसलमान लड़का हिन्दू लड़की से तभी शादी कर सकता है जब वह अपना मजहब बदलकर मुसलमान बन जाए। मजहब बदले बगैर वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही शादी कर सकते हैं।

— एक मुसलमान पुरुष सरकारी नौकरी करने पर दूसरी शादी नहीं कर सकता।

— केवल सुन्नी मुसलमान मर्द ईसाई या यहूदी लड़की से शादी कर सकता है।

रुखसाना और नसीर की शादी को दस बरस हो गए। शादी के कुछ ही समय बाद नसीर उसे छोड़कर न जाने कहां चला गया। क्या रुखसाना ऐसी हालात में तलाक ले सकती है।

हां, औरत अपनी मर्जी से तलाक ले सकती है अगर

— पति ज़हनी या शारीरिक जुल्म करता है
— कम से कम चार साल तक लापता हो
— बीवी को रहन-सहन का खर्च दो साल तक न दे
— अगर पति पागल, नपुंसक या उसे कोई लाइलाज बीमारी हो
— धर्म परिवर्तन, सात साल की सजा या अगर वह पति पर नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाए।

फहमीदा का शौहर न तो तलाक के बाद उसके रहन-सहन का कोई खर्चा देता है। न ही उसने मेहर की रकम अदा की है। ऐसे में फहमीदा अदालत से क्या अपना हक़ ले सकती है?

तलाक होने पर बीवी को शौहर से ये सभी रकम वसूल करने का हक़ है:

मेहर की रकम, तोहफे जो शादी के वक्त मिले हों, बच्चों का दो साल की उम्र तक खर्चा, इद्दत के दौरान का खर्चा।

× × ×

शफी और सबा की शादी हुई। उनको एक बेटी और बेटा हुए। शफी की बीमारी में मौत हो गई। उसकी जायदाद की कुल कीमत एक लाख रुपए थी। सबा को और उसके बच्चों को कितना हिस्सा मिलेगा।

— हर मुसलमान बेवा का अपने पति की जायदाद पर हक़ होता है। अगर उसके बच्चे न हों तो जायदाद का एक चौथाई और बच्चे होने पर आठवां हिस्सा मिलेगा।
— बेटी को बाप की जायदाद का वारिस माना जाता है। अगर कोई बेटा न हो तो बेटी को जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा।
— बेटे को हमेशा बेटी से दोगुना हिस्सा मिलेगा।
— अगर पति ने अपने जीते जी मेहर की रकम अदा न करी हो, तो बीवी को जायदाद के हिस्से के साथ मेहर की रकम भी दी जाएगी।

खालिद बहुत बीमार था। डाक्टरों ने जवाब दे दिया। वकील को बुलाकर खालिद अपनी वसीयत करना चाहता है। क्या वह ऐसा कर सकता है?

— जी हां, मुसलमान अपनी जायदाद के एक-तिहाई हिस्से की वसीयत कर सकता है।
— मुसलमान औरत अपने दो-तिहाई हिस्से की वसीयत कर सकती है अगर उसकी जायदाद का वारिस सिर्फ उसका पति हो।
— एक या दो-तिहाई का हिसाब तब लगाया जाता है, जब दफनाने का खर्च और सारे कर्ज उतारे जा चुके हों।
— वसीयत लिखित या जुबानी हो सकती है। पर लिखित वसीयत ज्यादा पक्की होती है।

शकीला अपनी भांजी नजमा को बेटी की तरह मानती है। अपने गहने-जायदाद का कुछ भाग वह उसे तोहफे के तौर पर देना चाहती है। वकील ने सुझाया शकीला नजमा के नाम हिबा कर सकती है। पर हिबा क्या होता है?

हिबा एक तरह का तोहफा है। कोई भी औरत या आदमी अपनी मर्जी से हिबा कर सकता है। आपको बताना होगा कि कौन हिबा कर रहा है और किसको। हिबा के लिए लेने वाले की तरफ से मंजूरी होनी ज़रूरी है। □

साभार: **हमारे कानून—मार्ग प्रकाशन**